फ्रेंक्सफीस / COURT FEE / भारत INDIA / दस रुपये TEN RUPEES; दो रुपये TWO RUPEES; दो रुपये TWO RUPEES; एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(526)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–भिण्ड R 3376-I/14

धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक द्वारा दिनांक 4-10-14 को प्रस्तुत
4-10-14
४ व सर्व आफ कोर्ट

सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री चिरोंजीलाल शर्मा निवासी अटेर रोड, भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड (म.प्र.) -- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/2013–14/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

8
4.10.14

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 725, 726, 727 728, 729 एवं 731 खसरा वर्ष सम्वत् 1999 में बाबा भगवान दास बैरागी गैर मौरूसी काश्तकार के रूप में दर्ज थीं। बाबा भगवान दास बैरागी के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी बाबा गणेशदास गुरू भगवनदास बैरागी मौरूसी कृषक के रूप में मुद्दत 12 वर्ष दर्ज थी। मध्य भारत भू–आगम एवं कृषिकाधिकार विधान सम्वत् 2007 सन् 1950 की धारा 54 (VII) के अधीन उपरोक्त भूमियों के पक्का कृषक हो गये थे। मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 के प्रभावशील होने पर संहिता की धारा 158 (1) (बी) के अधीन विधि के प्रभाव से भूमि स्वामी हो गये थे। तदनुसार प्रकरण क्रमांक 117/60/116/113 पारित आदेश दिनांक 31.07.1961 द्वारा बाबा गणेश दास गुरू भगवनदास बैरागी का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया।

(3)

2. यहकि, दिनांक 09.12.1965 को बाबा गणेश राम द्वारा उपर्युक्त भूमियों विधिवत् पंजीकृत विक्रय विलेख फूलसिंह एवं सिंहवीर सिंह पुत्रगण भूरन सिंह के पक्ष निष्पादित किया गया था। तदनुसार प्रकरण क्रमांक 270/65–66/110 में पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3376-एक/14 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	